*ई–मेल
स्पीड पोस्ट/निबंधित
डाक

पत्रांक–2ब०/ना०सु०–03–02/2018 31 /न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

*अनौपचारिक रूप से परामर्शित

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

*द्वारा–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक– 25/07/18

विषयः– **प्रशासनिक भवन/नगर सरकार भवन के निर्माण हेतु नगर परिषद्, नवादा एवं बीहट तथा नगर पंचायत, हिसुआ एवं सिमरी बख्तियारपुर को वित्तीय वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 में स्वीकृत एवं आवंटित राशि की कोषागार से निकासी नहीं होने के कारण वित्तीय वर्ष 2018–19 में कुल ₹322.51750 लाख (तीन करोड़ बाईस लाख एकावन हजार सात सौ पचास रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राशि की स्वीकृति।**

आदेशः– **स्वीकृत।**

मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक– 22.10.2013 के मद संख्या 03 के रूप में प्राप्त स्वीकृति के आलोक में राज्य के 24 नगर परिषदों एवं 55 नगर पंचायतों में नगर सरकार भवन निर्माण की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई थी। उत्तर बिहार में स्थित नगर परिषद् में कुल ₹392.92 लाख (तीन करोड़ बानवे लाख बानवे हजार रु०) एवं नगर पंचायत में कुल ₹169.56 लाख (एक करोड़ उनहत्तर लाख छप्पन हजार रु०) मात्र तथा दक्षिण बिहार में स्थित नगर परिषद् में ₹311.29 लाख (तीन करोड़ ग्यारह लाख उनतीस हजार रु०) एवं नगर पंचायतों में कुल ₹154.15 लाख (एक करोड़ चौवन लाख पंद्रह हजार रु०) मात्र के प्रशासनिक भवन निर्माण हेतु मॉडल प्राक्कलन की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

2. उक्त के आलोक में नगर परिषद्, नवादा एवं बीहट तथा नगर पंचायत, हिसुआ एवं सिमरी बख्तियारपुर में प्रशासनिक भवन निर्माण हेतु स्वीकृत सम्पूर्ण राशि विभिन्न राज्यादेशों एवं आवंटनादेशों द्वारा स्वीकृत एवं आवंटित किया जा चुका है।

3. कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, नवादा एवं बीहट तथा नगर पंचायत, हिसुआ एवं सिमरी बख्तियारपुर द्वारा उक्त आवंटित राशि में से निम्न तालिका के स्तम्भ– 6 में अंकित राशि के अपरिहार्य कारणों से निकासी नहीं होने तथा निकासी की गई राशि के पश्चात् योजना के कार्यान्वयन में विलम्ब होने के कारण विभागीय निदेश के आलोक में राशि कोषागार में जमा करने की सूचना देते हुए पुनः आवंटित करने का अनुरोध किया गया है। उक्त से संबंधित अनिकासी प्रमाण–पत्र/चालान की प्रति विभाग को उपलब्ध कराया गया है।

4. तद्नुसार कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, नवादा एवं बीहट तथा नगर पंचायत, हिसुआ एवं सिमरी बख्तियारपुर द्वारा कोषागार से निकासी नहीं की गयी अथवा कोषागार में जमा की गई राशि को

वित्तीय वर्ष 2018–19 में सहायक अनुदान के रूप में तत्काल कुल ₹322.51750 लाख (तीन करोड़ बाईस लाख एकावन हजार सात सौ पचास रु०) मात्र की स्वीकृति निम्न तालिका के स्तम्भ– 7 के अनुरूप निम्नवत् प्रदान की जाती है:–

(राशि लाख में)

क्र० सं०	निकाय का नाम	स्वीकृत राशि	आवंटित राशि	अनिकासी/ कोषागार में जमा की गई राशि	नगर निकाय के पास उपलब्ध राशि	चालू वित्तीय वर्ष में तत्काल आवंटित राशि	अवशेष राशि
1	*2*	*3*	*4*	*6*	*5*	*7*	*8*
1	नगर परिषद्, नवादा	311.29000	311.29000	311.29000	0.00000	77.82250	233.46750
2	नगर परिषद्, बीहट	392.92000	392.92000	392.92000	0.00000	98.23000	294.69000
	योग (क)	**704.21000**	**704.21000**	**704.21000**	**0.00000**	**176.05250**	**528.15750**
3	नगर पंचायत, हिसुआ	154.15000	154.15000	61.40000	92.75000	61.40000	0.00000
4	नगर पंचायत, सिमरी बख्तियारपुर	169.56000	169.56000	85.06500	84.49500	85.06500	0.00000
	योग (ख)	**323.71000**	**323.71000**	**146.46500**	**177.24500**	**146.46500**	**0.00000**
	योग (क+ख)	**1027.92000**	**1027.92000**	**850.67500**	**177.24500**	**322.51750**	**528.15750**

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि ₹322.51750 लाख (तीन करोड़ बाईस लाख एकावन हजार सात सौ पचास रु०) मात्र।

इसके लिए CFMS के माध्यम से आवंटन आदेश निर्गत किया जायेगा।

5. स्वीकृत कुल ₹322.51750 लाख (तीन करोड़ बाईस लाख एकावन हजार सात सौ पचास रु०) मात्र सहायक अनुदान की **राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, नवादा एवं बीहट तथा नगर पंचायत, हिसुआ एवं सिमरी बख्तियारपुर होंगे,** जिनके द्वारा उक्त राशि की निकासी बिहार कोषागार संहिता 2011 के संगत प्रावधानों के तहत एवं वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 2561, दिनांक– 17.04.98 एवं पत्रांक– 354, दिनांक– 28.03.2018 में निहित अनुदेशों के आलोक में वित्तीय वर्ष 2018–19 में संबंधित कोषागार से की जायेगी। राशि के निकासी के पश्चात् राशि का हस्तांतरण कार्यकारी एजेंसी को बैंक ड्राफ्ट/चेक के माध्यम से कर दिया जायेगा। **राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में A.C. विपत्र पर नही की जाएगी। राशि का संधारण पी०एल० खाता में किया जाएगा।**

6. चूँकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार संहिता के नियम– 431 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०– 42 में राशि की निकासी की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या– 1496, दिनांक– 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर संबंधित कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। राशि की निकासी से संबंधित टी०भी० नं० एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना को देते हुए सरकार को अवगत कराया जायेगा।

7. वित्त विभाग के संकल्प सं०– 573, दिनांक– 16.01.1975 एवं एम 04–15/2009–9736, दिनांक– 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड़) के अनुसार "सहायता अनुदान की

राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।''

8. राशि की निकासी निम्नांकित बजट शीर्षों के माध्यम से की जाएगी :–

(क) स्वीकृत कुल ₹322.51750 लाख (तीन करोड़ बाईस लाख एकावन हजार सात सौ पचास रु०) मात्र में से क्रमांक– 1 एवं 2 पर अंकित नगर परिषद्, नवादा एवं बीहट के लिए ₹176.05250 लाख (एक करोड़ छिहत्तर लाख पाँच हजार दो सौ पचास रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या–48 मुख्य शीर्ष– 2217–शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष– 03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष– 192–नगर पालिकाओं–नगर परिषद् को सहायता, उपशीर्ष– 0101–नगर परिषदों के प्रशासनिक एवं तकनीकी भवनों का निर्माण जीर्णोद्धार हेतु सहायक अनुदान, विपत्र कोड– **48-2217031920101,** विषय शीर्ष– 0101.31.05 सहायक अनुदान परिसंपत्तियों के निर्माण से की जायेगी।

(ख) स्वीकृत कुल ₹322.51750 लाख (तीन करोड़ बाईस लाख एकावन हजार सात सौ पचास रु०) मात्र में से क्रमांक– 3 एवं 4 पर अंकित नगर पंचायत, हिसुआ एवं सिमरी बख्तियारपुर के लिए ₹146.46500 लाख (एक करोड़ छियालीस लाख छियालीस हजार पाँच सौ रु०) मात्र निकासी मांग संख्या–48 मुख्य शीर्ष– 2217–शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष– 03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष– 193–नगर पंचायतों–अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतुल्य को सहायता, उपशीर्ष– 0101–नगर पंचायतों के प्रशासनिक एवं तकनीकी भवनों का निर्माण जीर्णोद्धार हेतु सहायक अनुदान, विपत्र कोड– **48-2217031930101,** विषय शीर्ष– 0101.31.05 सहायक अनुदान परिसंपत्तियों के निर्माण से की जायेगी।

9. योजना का कार्यान्वयन विहित प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए तथा समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत अनुदेशों के आलोक में किया जाएगा। स्वीकृत राशि का व्यय उसी कार्य के विरुद्ध किया जाएगा, जिसके निमित्त राशि स्वीकृत की गई है।

10. ''नगर सरकार भवन/प्रशासनिक भवन'' के कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित शर्तो के अधीन राशि स्वीकृत की जाती है:–

(i) संबंधित नगर निकाय राशि की निकासी कर योजना के कार्यान्वयन हेतु संबंधित कार्यकारी एजेंसी (नगर निकाय/डूडा) को उपलब्ध करा देंगे।

(ii) संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा योजना का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण/निर्देश समय–समय पर दिया जाएगा।

(iii) **योजनाओं का कार्यान्वयन ई० टेन्डरिंग के माध्यम से कराया जाएगा।**

(iv) स्वीकृत निधि की अधिसीमा के अन्तर्गत ही योजनाओं के अनुरूप सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर कार्यान्वित करायी जायेगी। यह ध्यान में रखा जायेगा कि योजनाओं का डुप्लीकेशन न हो एवं पाँच वर्ष पूर्व से अबतक किसी भी एजेंसी से कोई कार्य नहीं कराया गया हो।

(v) सभी योजनाओं हेतु कार्य स्थल पर एक बोर्ड प्रदर्शित रहेगा, जिस पर योजना की प्राक्कलित राशि, योजना का विवरण– लागत तथा पूर्ण होने की तिथि अंकित रहेगी।

(vi) निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत भवन पर एक बोर्ड लगाया जाएगा जिसपर "नगर सरकार भवन" अंकित रहेगा।

11. स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार बिहार, पटना तथा सरकार को उपलब्ध कराया जाएगा। योजनाओं के कार्यान्वयन का त्रैमासिक भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा।

12. वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 7355 वि(2), दिनांक– 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

13. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या 2ब/ना०सु०–03–02/2018 के पृष्ठ सं०–......21...../टि० पर दिनांक–...23/07/2018 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०–......22...../टि० पर दिनांक–...23/07/2018. को प्राप्त है।

14. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

15. इसकी सूचना संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, नवादा एवं बीहट तथा नगर पंचायत, हिसुआ एवं सिमरी बख्तियारपुर तथा अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

24.07.18

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–2ब/ना०सु०–03–02/2018 31 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक–25/07/18

प्रतिलिपि:– संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, नवादा एवं बीहट तथा नगर पंचायत, हिसुआ एवं सिमरी बख्तियारपुर/मुख्य अभियंता नगर विकास एवं आवास विभाग/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/कार्यपालक अभियंता, संबंधित जिला शहरी विकास अभिकरण/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/विभगीय आई०टी० प्रबंधक को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने एवं सभी संबंधित को ई0मेल करने हेतु/प्रशाखा पदाधिकारी– 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24.07.18

सरकार के विशेष सचिव।